राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर

एफ.3 (3)(1)पो/आयो/विविध/मबावि/2003 41885-42195 जयपुर, दिनांक 23.6.09

उप निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त।

विषय :- भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.02.2009 द्वारा न्यूट्रिशनल व फीडिंग नॉमर्स में संशोधन के दृष्टिगत बाल एवं मातृ पूरक पोषाहार-बेबी मिक्स/पंजीरी (सत्तु) की प्राप्ति एवं वितरण तथा स्टॉक लेखा संधारण के सम्बन्ध में।

(1) उपर्युक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.02.2009 के द्वारा पूरक पोषाहार के श्रेणीवार लाभान्वितो के लिए न्यूट्रिशनल नॉमर्स को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :-

क.सं	लाभार्थी	ऊर्जा (किलो कैलोरी में)	प्रोटीन (ग्राम में)
1	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	500	12-15
2	6 माह से 6 वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चे	800	20-25
3	गर्भवती एवं धात्री महिलाएं	600	18-20

(2). संशोधित न्यूट्रिशनल नॉमर्स की अनुपालना मे विभाग द्वारा बाल एवं मातृ पूरक पोषाहार पंजीरी (सत्तु)/बेबी मिक्स की मात्रा प्रति लाभान्वित प्रति दिवस निम्नानुसार उपलब्ध करवाई जावेगी :-

क. सं.	लाभार्थी	पोषाहार की मात्रा	
		प्रतिदिवस	प्रति सप्ताह
1	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	125 ग्राम	750 ग्राम
2	गर्भवती एवं धात्री महिलाएं	150 ग्राम	900 ग्राम
3	3 से 6 वर्ष के बच्चे	50 ग्राम (केन्द्र पर नास्ते के लिए) + गरम पूरक पोषाहार जो वर्तमान मे दिया जा रहा है	300 ग्राम (600 ग्राम का एक पाउच केन्द्र पर दो सप्ताह के उपयोग हेतु)
4	6 माह से 3 वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चे	200 ग्राम	1200 ग्राम (600 ग्राम के दो पाउच एक सप्ताह के लिए)
5	3 से 6 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चे	50 ग्राम (केन्द्र पर नास्ते के लिए) + गरम पूरक पोषाहार + 75 ग्राम (THR)	450 ग्राम (900 ग्राम का एक पाउच दो सप्ताह के उपयोग हेतु)

(3) नवीन पैकिंग साईज के पूरक पोषाहार का लाभान्वितों में वितरण निम्नानुसार कराया जावे :—

(i) आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों को 125 ग्राम प्रति लाभान्वित प्रतिदिन के हिसाब से सप्ताह में 6 दिन के लिए 750 ग्राम के एक पाउच का वितरण, निर्धारित साप्ताहिक वितरण दिवस पर किया जावेगा। R.T.E. (T.H.R.)

(ii) गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को 150 ग्राम प्रति लाभान्वित प्रतिदिन के हिसाब से सप्ताह में 6 दिन के लिए 900 ग्राम के एक पाउच का वितरण, निर्धारित साप्ताहिक वितरण दिवस पर किया जावेगा। R.T.E. (T.H.R.)

(iii) 3—6 वर्ष के कुपोषित बच्चों को जो आंगनबाड़ी केन्द्र पर शाला पूर्व शिक्षा के लिए उपस्थित होते है उन्हे केन्द खुलने के एक घण्टे के उपरांत 50 ग्राम पूरक पोषाहार प्रति लाभान्वित प्रतिदिन का उपयोग कर गुनगुने पानी में पेस्ट बनाकर नास्ते के रूप में दिया जावेगा। सामान्यतः इसके लिए पूरक पोषाहार के 600 ग्राम का पाउच उपयोग किया जावेगा। उदाहरणार्थ यदि किसी दिन केन्द्र पर आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के 12 बच्चे उपस्थित हो तो उनके के लिए सुबह के नाश्ते के लिए 600 ग्राम के एक पाउच पूरक पोषाहार का उपयोग किया जावेगा। परन्तु यदि 600 ग्राम के पाउच में पोषाहार केन्द्र पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य साईज के पूरक पोषाहार का इस्तेमाल, जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, किया जा सकेगा। इसके पश्चात बच्चों को गर्मियों के मौसम में 11.00—11.30 बजे एवं सर्दियों के मौसम में 12.00—12.30 बजे के दौरान गरम पूरक पोषाहार खिचडी/दलिया विभागीय निर्देशानुसार यथावत दिया जावेगा। (Morning Snack--Use of 50 gm RTE + Hot meal)

(iv) आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को घर पर उपयोग हेतु 200 ग्राम प्रति लाभान्वित प्रतिदिन के हिसाब से सप्ताह में 6 दिन के लिए 600 ग्राम के दो पाउच का वितरण, निर्धारित साप्ताहिक वितरण दिवस पर किया जावेगा। R.T.E. (T.H.R.)

(v) आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर में गरम पूरक पोषाहार जो इसी आयुवर्ग के बच्चों को उप बिन्दु के (iii) के अनुसार केन्द्र पर दिया जा रहा है के अनुसार ही दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें टेक होम राशन के रूप में (घर पर उपयोग हेतु) 75 ग्राम पूरक पोषाहार प्रतिदिवस के हिसाब से दो सप्ताह के लिए एक बार में ही 900 ग्राम का एक पाउच का वितरण, सप्ताह के वितरण दिवस पर किया जावेगा। (Morning Snack + Hot meal + RTE (THR)

(vi) ऐसी बाल विकास परियोजनाएं जहां विकेन्द्रीकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहो से पोषाहार प्राप्त किया जा रहा है वहां अब उपरोक्तानुसार बढ़ी हुई मात्रा के पाउच में पूरक पोषाहार प्राप्त किया जायेगा। इसके लिए सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह की सहमति से विभाग एवं उनके मध्य निष्पादित एम.ओ.यू. में आवश्यक शर्त जोड़ी जावेगी। अर्थात अब आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 750 ग्राम तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए 900 ग्राम के पाउच में पूरक पोषाहार प्राप्त किया जावे। 0—3 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चे तथा 3 से 6 वर्ष के कुपोषित तथा अतिकुपोषित बच्चों के लिए भी ऐसी परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 600 ग्राम के पाउच में पूरक पोषाहार की आपूर्ति स्वयं सहायता समूहों से ली जावेगी।

(4) भारत सरकार के संशोधित न्यूट्रिशनल नॉमर्स के मध्य नजर 600 ग्राम, 750 ग्राम व 900 ग्राम के पूरक पोषाहार की आपूर्ति बाबत् मासिक आपूर्ति आदेश दिनांक 09.06.2009 को पूर्व में ही जारी किये जा चुके है। तदानुसार परियोजना कार्यालयों में अब तीन भिन्न भिन्न चालानों से पूरक पोषाहार प्राप्त होंगे। परियोजना कार्यालय में इनका स्टॉक लेखांकन, स्टॉक रजिस्टर में समुचित रूप से किया जायेगा। परियोजना तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लेखांकन निम्नानुसार किया जायेगा।

(5) प्रत्येक परियोजना गोदाम व आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 450 ग्राम तथा 780 ग्राम पाउच साईज के वर्तमान में उपलब्ध पूरक पोषाहार का उपयोग पूर्व की तरह पहले किया जायेगा जब तक कि यह समाप्त नहीं हो जावे। तत्पश्चात नवीन साईज के पूरक पोषाहार का उपयोग प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) परियोजना में पूरक पोषाहार का स्टॉक लेखांकन

(i) पूरक पोषाहार का स्टॉक लेखा अब परियोजना में पाउच साईजवार बैग की संख्या में तथा आंगनबाड़ी केन्द्र पर साईजवार पाउच की संख्या में रखा जायेगा, पोषाहार की किलोग्राम में मात्रा के रूप में नहीं। परन्तु पोषाहार की मात्रा, पाउच साईज के आधार

पर एमपीआर में दर्शाने के लिए अथवा जब भी आवश्यक हो, निकाली जा सकती है। परियोजना कार्यालय के स्टॉक रजिस्टर में पूरक पोषाहार सामग्री के पाउच साईज के अनुसार तीन भिन्न-भिन्न लेखे रखे जा सकते हैं अथवा निम्न प्रारूप में यदि स्टॉक रजिस्टर संधारित किया जाये तो तीनो साईज के पूरक पोषाहार का लेखांकन एक लेखे के अन्तर्गत (एक पेज पर ही) संधारित किया जा सकता है।

बेबी मिक्स/पंजीरी पूरक पोषाहार का लेखा

दिनांक	चालान का विवरण	600 ग्राम पाउच के बैगों की संख्या			750 ग्राम पाउच के बैगों की संख्या			900 ग्राम पाउच के बैगों की संख्या			विवरण
		प्राप्ति	वितरण	शेष	प्राप्ति	वितरण	शेष	प्राप्ति	वितरण	शेष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(ii) पूरक पोषाहार के चालान का विवरण यथा फर्म का नाम, चालान की संख्या एवं दिनांक, पोषाहार का नाम, कालातीत होने की तिथि का उल्लेख कॉलम संख्या 2 में किया जायेगा और प्राप्त माल के बैग की संख्या संबंधित साईज के कॉलम 3 अथवा 6 अथवा 9 में अंकित की जायेगी। जब पोषाहार का वितरण आंगनबाडी केन्द्रो को किया जाए उसकी (वितरित बैग की संख्या की) प्रविष्ठि संबंधित साईज के वितरण के कॉलम यथा 4 अथवा 7 अथवा 10 में अंकित किया जायेगा और वितरण पश्चात् संबंधित कॉलम संख्या 5 अथवा 8 अथवा 11 में शेष निकाला जायेगा। कॉलम संख्या 12 में प्रविष्ठियों का सत्यापन स्टोर कीपर तथा परियोजना अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(iii) 600 ग्राम, 750 ग्राम, 900 ग्राम के पाउच वाले बैग में पाउचों की संख्या क्रमशः 50, 40 और 40 है। इस प्रकार बैग में पोषाहार का नेट वजन क्रमशः 30 किलो, 30 किलो तथा 36 किलोग्राम है। परियोजना स्तर पर एम.पी.आर. बनाते समय पाउचों की संख्या को संबंधित गुणक से गुणा कर पोषाहार की मात्रा ही अंकित की जावें।

(7) आंगनबाडी केन्द्र पर पूरक पोषाहार का स्टॉक लेखांकन

(i) पूर्व की तरह आंगनबाडी केन्द्र पर पोषाहार का स्टॉक लेखाकंन और मासिक रिपोर्ट फार्म नम्बर 4 में किया जायेगा। अब तीन साईज में पूरक पोषाहार केन्द्रों पर प्राप्त होगा। फार्म नम्बर 4 में " प्राप्ति, वितरण एवं दैनिक अवशेष " के तीनों कॉलमों को मिलाकर इस प्रकार के तीन कॉलम्स सैट हैं। इनमें से एक कॉलम सैट में 600 ग्राम के पोषाहार, दूसरे कॉलम सैट में 750 ग्राम के पोषाहार तथा तीसरे कॉलम सैट में 900 ग्राम के पोषाहार का लेखाकंन किया जायेगा। 0-3 वर्ष के कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाऐं तथा किशोरी बालिकाओं (किशोरी शक्ति योजना के क्षेत्र में) को साप्ताहिक आवश्यकता का पोषाहार वितरण दिवस को वितरित किया जाता है। संबंधित दिनांक के कॉलम में दिनांक अंकित करेंगे तथा उसके आगे संबंधित श्रेणी के लाभान्वितों की संख्या को अंकित कर प्रत्येक श्रेणी के लाभान्वितो की संख्या जोडी जाये तथा जोड के समान (अतिकुपोषित बच्चों के मामले में 600 ग्राम के दुगुने पाउच) संख्या में लाभान्वितों को पोषाहार के पाउचों का वितरण किया जाये। ध्यान रहे कि अति कुपोषित बच्चों को प्रत्येक सप्ताह के लिए 1200 ग्राम पोषाहार का वितरण नवीन पोषाहार मानदण्डो के अनुसार किया जायेगा। परन्तु 1200 ग्राम पोषाहार का कोई पाउच परियोजना/आंगनबाडी केन्द्र को नहीं भेजा जा रहा है। अतः अति कुपोषित बच्चों को 600-600 ग्राम के दो पाउच वितरित किये जायेंगे और वितरण किये गये पाउचों की प्रविष्टि संबंधित साईज के पोषाहार के वितरण कॉलम में अंकित की जाकर अवशेष के कॉलम में शेष निकाला जायेगा।

(ii) (a) 3-6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाडी केन्द्र पर उपस्थित होने के 1 घण्टे बाद नाश्ता दिया जायेगा। नाश्ते में प्रत्येक बच्चे के लिए 50 ग्राम पूरक पोषाहार का उपयोग किया जायेगा। जितने बच्चे केन्द्र पर उपस्थित हो उतने बच्चों के लिए 50 ग्राम के हिसाब से 600 ग्राम के पाउच में उपलब्ध पोषाहार का उपयोग किया जाएगा। यदि 600 ग्राम के पोषाहार पाउच उपलब्ध नहीं हो तो अन्य साईज के पोषाहार पाउच का नाश्ते के लिए उपयोग किया जा सकता है। उपयोग में लिये गये पाउचों की प्रविष्टि सम्बन्धित पोषाहार साईज के वितरण के कॉलम में की जायेगी। उदाहरणार्थ- यदि किसी दिन केन्द्र पर 25 बच्चे उपस्थित हो तो उनके नाश्ते के लिए 50 ग्राम के हिसाब से 1.250 किलोग्राम पोषाहार की आवश्यकता रहेगी अर्थात 600 ग्राम के दो पाउच और 50 ग्राम अतिरिक्त पोषाहार की आवश्यकता रहेगी।

अतः 600 ग्राम के तीन पाउचों को खोला जायेगा। पहले दो पाउचों से 600–600 ग्राम तथा तीसरे से 50 ग्राम पोषाहार का उपयोग होगा। सम्बन्धित पोषाहार वितरण के कॉलम में तीन पाउच दर्शाये जायेंगे। तीसरे पाउच की शेष 550 ग्राम पोषाहार को रिमार्क कॉलम में 550 ग्राम शेष लिखकर दर्शाया जायेगा। जिसका अगले दिन नाश्ते के लिए उपयोग किया जायेगा।

(b) 3–6 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चे जिन्हें ईलाज की आवश्यकता है वे ईलाज के लिए जिले स्थित कुपोषण निवारण केन्द्र (एम.टी.सी.) में ईलाज करायेंगे तथा ईलाज कराने के उपरांत नियमित रूप से केन्द्र पर शाला पूर्व शिक्षा के लिए आयेंगे। इसी प्रकार इसी आयुवर्ग के बच्चों की तरह अन्य अतिकुपोषित बच्चे भी शाला पूर्व शिक्षा हेतु केन्द्र पर आयेंगे। 3–6 वर्ष के अतिकुपोषित सहित सभी बच्चों की संख्या को जो केन्द्र पर उपस्थित हो, 3–6 वर्ष के बच्चों (कुपोषित) के कॉलम में एकजाई दर्शायी जायेगी। इन सभी बच्चें को नाश्ता और गरम पूरक पोषाहार दोनों का वितरण किया जायेगा। नाश्ते में प्रति बालक 50 ग्राम पूरक पोषाहार के हिसाब से उपयोग ली जायेगी। खुले पाउच में उपलब्ध पोषाहार का उपयोग करते हुए जितने पोषाहार के पाउचों की आवश्यकता हो उन्हें काम में लिया जायेगा। कुल काम में लिये गये पाउचों की संख्या को पोषाहार वितरण के कॉलम में दर्शाया जावेगा तथा खुली शेष मात्रा के अवशेष को सम्बन्धित दिनांक के अंतिम रिर्माक कॉलम में नोट कर लिया जावेगा। जिसका उपयोग अगले दिनों के नाश्ते के लिए किया जावेगा और इसी प्रकार अगले दिन उपयोग की गई पाउच की संख्या का वितरण दिखाया जायेगा।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्म पूरक पोषाहार के रूप में प्रथम दिन खिचड़ी एवं दूसरे दिन मीठा दलिया और फिर इसी क्रम में पोषाहार वितरित करने के निर्देश दिये हुए हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए खिचड़ी में 50 ग्राम चावल, 25 ग्राम मूग दाल छिलका तथा 05 ग्राम खाने का तेल, कुल 80 ग्राम सामग्री का उपयोग करने के निर्देश दिए हुए है। इसी प्रकार मीठे दलिये में, गेहू का दलिया 32 ग्राम, मूग दाल छिलका 18 ग्राम, गुड़/चीनी 25 ग्राम व खाने का तेल 05 ग्राम कुल 80 ग्राम सामगी का उपयोग किए जाने का निर्देश दिए हुए हैं। उक्त सामग्री का उपस्थित बच्चों की संख्या के आधार पर उपयोग कर खिचड़ी/दलिया तैयार किया जाकर उपस्थित पंजीकृत बच्चों में वितरित किया जाये। सामान्य तरलता (न बहुत गाढ़ा न बहुत पतला) की स्थिति में तैयार खिचड़ी/दलिया की मात्रा लगभग 200 ग्राम अथवा थोड़ी अधिक प्राप्त होगी। अतः यह सुनिश्चित करे कि सभी उपस्थित कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों को लगभग 200 ग्राम खिचड़ी/मीठा दलिया वितरित हो। इसके लिए व्यवहार में एक उपयुक्त साईज की मांप (कटौरी) का उपयोग गरम पूरक पोषाहार वितरण में किया जा सकता है।

(c) अति कुपोषित बच्चो को उपरोक्त के अतिरिक्त टेक हॉम राशन के रूप में एक सप्ताह की आवश्यकता के लिए 450 ग्राम पूरक पोषाहार दिया जायेगा। परन्तु 450 ग्राम साईज का कोई पैकेट नही भेजा जा रहा है अतः ऐसे बच्चो को दो सप्ताह की आवश्यकता के लिए 900 ग्राम साईज का एक पाउच वितरित किया जायेगा। 3–6 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों की संख्या को जो 3–6 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या में सम्मिलित है 3–6 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों के कॉलम में दर्शायेंगे तथा इनको वितरित किये गये पोषाहार की प्रविष्टि पोषाहार वितरण के सम्बन्धित कॉलम संख्या में की जायेगी।

(iii) जून 2009 से पूर्व जारी डी आई. के पोषाहार स्टॉक प्रविष्टियां पूर्व की तरह की जायेगी तथा स्टॉक लेखा भी मात्रा में रखा जायेगा। जिस माह में जून से पूर्व का पोषाहार पूर्णतया समाप्त होगा उस माह की एमपीआर जो आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा बनाई जाएगी उस में पूर्व के पोषाहार के लिए स्टॉक लेखा मात्रा के रूप में होगा तथा शेष दिनों का लेखा पाउच की संख्या के आधार पर बनाया जायेगा। परियोजना कार्यालय में केन्द्रो द्वारा दर्शायी पाउचों की संख्या को मात्रा में परिवर्तित कर एमपीआर मे दर्शाया जाऐगा।

(iv) फार्म नम्बर 4 में मासिक सारांश निकालने के लिए तीन कॉलम जो मुरमुरे, पंजीरी और राजस्थान मिक्स के लिए दर्शाये गये है उन्हें क्रमशः 600 ग्राम, 750 ग्राम तथा 900 ग्राम के पाउच के पूरक पोषाहार के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(8) पूरक पोषाहार के उपयोग की अभिभावकों को सलाह (Counselling for feeding practice)

(i) 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे 125 ग्राम पोषाहार का उपभोग एक बार में नहीं कर सकते है। अतः आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक फिल्ड विजिट के दौरान बच्चों के अभिभावको

को 750 ग्राम के पोषाहार पाउच से लगभग 125 ग्राम पोषाहार का दिन में कई बार बच्चे को खिलाने की सलाह देंगे।

(ii) इसी प्रकार अति कुपोषित बच्चे के अभिभावकों को 600–600 ग्राम के दो पाउच पूरक पोषाहार से लगभग 200 ग्राम पूरक पोषाहर प्रतिदिन बच्चे को एक से अधिक बार में खिलाने की सलाह देंगे। 3–6 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चे जो केन्द्र पर प्रतिदिन आते हैं इन्हें प्रतिदिन 75 ग्राम पोषाहार घर पर एक अथवा अधिक बार में खाना है पर्यवेक्षक इस बाबत सलाह भी बच्चों के अभिभावकों को देंगे।

(9) 450 ग्राम व 780 ग्राम साईज में उपलब्ध पोषाहर को आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा पूर्ण रूप से वितरण/उपयोग लेने की संभावित तारीख को ध्यान में रखकर नयी साईज के पोषाहार का परिवहन केन्द्रों में कराये ताकि नवीन तीन साईज के पोषाहार के केन्द्रों पर पहुंचने के समय पूर्व की साईज का पोषाहार या तो समाप्त हो गया हो अथवा कुछ दिनों के वितरण में समाप्त हो जाये।

(10) उपरोक्त के अतिरिक्त पूरक पोषाहार (R.T.E.) की प्राप्ति, परिवहन एवं वितरण और गरम पूरक पोषाहार के संबंध में वर्तमान में प्रचलित निर्देश यथा संशोधन (Mutatis Mutandice) लागू रहेंगे। इनमें से कुछ प्रमुख निर्देश संलग्नक–1 के रूप में प्रेषित किये जा रहे हैं। परियोजना कार्यालय तथा आंगनबाड़ी केन्द्र पर पोषाहार की प्राप्ति व वितरण का स्टॉक लेखा संधारण के उदाहरण संलग्नक–2 में दिये गये हैं।

जिलों में पदस्थापित समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी उपरोक्त निर्देशों के अनुसार पूरक पोषाहार की प्राप्ति, भण्डारण, परिवहन, वितरण एवं लेखाकंन सुनिश्चित करेंगे। दिशा–निर्देशों की प्रतियां सभी पर्यवेक्षकों को उपलब्ध कराई जावे।

R.T.E. -- Ready To Eat (तैयार खाने योग्य)

T.H.R. -- Take Home Ration (घर पर ले जाने के लिए)

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर

एफ.3 (3)(1)पो/अयो/विविध/मबावि/2003 42196-315 जयपुर, दिनांक 23.6.09

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त महिला अधिकारिता एवं पदेन शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
5. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
6. प्रभारी अधिकारी, निरीक्षण दल मुख्यालय।
7. O.I.C. Computer.

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर